प्रेषक,

शुभम वर्मा,
सिविल जज सी0डि0,
जनपद न्यायालय, मऊ।

सेवा में,

श्रीमान महानिबन्धक
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

जनपद न्यायाधीश,
मऊ।

विषयः– वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि 2019–2020 के उन्नयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

ससम्मान विनम्र निवेदन है कि तत्कालीन आदरणीय जनपद न्यायाधीश, मऊ श्री मुकेश मिश्रा द्वारा वर्षः– 2019–2020 की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि, स्वनिर्धारण प्रपत्र के आधार पर करते हुए, प्रार्थी का सम्पूर्ण मूल्यांकन "उत्तम" के रूप में किया गया है। तत्कालीन जनपद न्यायाधीश ने स्वनिर्धारण प्रपत्र पर विचार करते समय किसी भी कॉलम में प्रतिकूल प्रविष्टि अथवा टिप्पणी नहीं की है।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने जनरल लेटर नम्बर 16/IV–h–14/2018 दिनांकित–31.05.2018 यथासंशोधित जनरल लेटर नम्बर–11/IV–h–14/2019 दिनांकित–05.03.2019 द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यक्षमता का मूल्यांकन करने के सम्बन्ध में यूनिट प्रणाली की व्यवस्था की है, जिसके अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, प्रत्येक पीठासीन अधिकारी को 1200 यूनिट कार्य देना होता है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्राचीनतम वादों, 05 वर्ष से अधिक पुराने वादों, निष्पादन वादों एवं लोक अदालत के माध्यम से सुलह–समझौते के आधार पर विभिन्न वादों का निस्तारण करने का भी आदेश किया गया है। उपरोक्त यूनिट व्यवस्था के अनुसार अवकाश, प्रशिक्षण आदि से सम्बन्धित दिवसों को 1200 यूनिट में से घटाते हुए वास्तविक कार्य दिवस के सापेक्ष आगणित यूनिट प्रत्येक पीठासीन अधिकारी को देना है।

वित्तीय वर्ष–2019–2020 में कुल कार्य दिवस 366 में से अवकाश, प्रशिक्षण के 139 दिवस घटाने के उपरान्त प्रार्थी को माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त प्रपत्र के अनुसार निर्धारित मानक, के अनुसार, 744.08 यूनिट कार्य देना था, जिसके सापेक्ष कुल 1379.01 यूनिट कार्य, प्रार्थी द्वारा किया गया है, जोकि निर्धारित मानक से कहीं अधिक है। वित्तीय वर्ष– 2019–2020 में प्रार्थी द्वारा 05 वर्ष से अधिक पुराने कुल 144 वादों का निस्तारण एवं 10 वर्ष से अधिक पुराने 47 वादों का निस्तारण किया गया है। इसके अतिरिक्त कुल 18 इजरावादों का निस्तारण किया गया है, जबकि तत्कालीन जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा 17 इजरावादों का निस्तारण वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में अंकित किया गया है। लोक अदालत में सुलह–समझौते के आधार पर 36 वादों का निस्तारण किया गया है, जबकि तत्कालीन जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में मात्र 21 सिविल वादों को सुलह/वैकल्पिक विवाद समाधान द्वारा निस्तारित दर्शाया गया है।

प्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करते हुए प्राचीनतम वादों के निस्तारण पर विशेष बल देते हुए वर्ष– 1987,1988,1990,1991,1992,1993,1994,1996,1999 के सिविल, इजरा, फौजदारी वादों का निस्तारण किया गया है। न्यायिक कार्य के साथ–साथ दिनांक–24.08.2019 से 17.01.2020 तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मऊ के सचिव का भी पदभार संभालते हुए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों का अनुपालन किया गया है। साथ ही प्रभारी अधिकारी, टेलीफोन एवं प्रभारी अधिकारी शपथ आयुक्त के रूप में भी आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय के निर्देशानुसार कार्य सम्पादन किया गया है। प्रार्थी को अवसंरचना उपसमिति, प्रोन्नति समिति, क्रय समिति, व्यथा निवारण समिति का सदस्य भी नामित किया गया है। व्यथा निवारण समिति, प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में कर्मचारियों के विभिन्न प्रत्यावेदनों पर विचार करने हेतु आहूत समिति की बैठक में उपस्थित होकर प्रशासनिक कार्य किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों को अधिकाधिक न्यायिक कार्यों के सम्पादन हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यूनिट सिस्टम में पुराने वादों के निस्तारण पर अतिरिक्त यूनिट प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है, जिससे कि प्रत्येक पीठासीन अधिकारी पूरी रूचि एवं उत्साह के साथ अधीनस्थ न्यायालयों में लम्बित पुराने वादों के निस्तारण पर अधिक बल दें। प्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की मंशा एवं निर्देशों के अनुपालन में पूर्ण मनोयोग से कार्य करते हुए उपरोक्त न्यायिक कार्य के साथ–साथ श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा सौपे गये प्रशासनिक दायित्व का भी निर्वहन करने का यथासम्भव पूर्ण प्रयास किया गया है। कार्य के अनुपात में उचित मूल्यांकन नहीं होने से प्रार्थी की मनोदशा पर प्रतिकूल प्रभाव पडने की संभावना होगी एवं कार्यक्षमता प्रभावित होगी, जबकि उचित मूल्यांकन सकारात्मक रूप से और अधिक मनोयोग से कार्य करने की प्रेरणा देगा। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्वनिर्धारण प्रपत्र का पुर्नमूल्यांकन करते हुए, माननीय महोदय की दृष्टि में, प्रार्थी जिस मूल्यांकन का हकदार हो, उसे प्रदान करने से भविष्य में और अधिक रूचि एवं उत्साह से कार्य करने हेतु प्रोत्साहित होगा।

अतः माननीय महोदय से विनम्र निवेदन है कि प्रत्यावेदन को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर उचित आदेश प्राप्त करने की महती कृपा करें।

सादर।

दिनांक–11.11.2020

भवदीय
Verma 11-11-2020
शुभम वर्मा,
सिविल जज सी0डि0,
मऊ।

Office of the District Judge, Mau
Letter No. 1695/Admin-XV dt. 11.11.2020
11-11-2020